



प्रेस नोट

दिनांक 10.06.2025

02 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर व थाना जरिया से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- गंगू उर्फ राजा बाबू पुत्र लालाराम निवासी ग्राम बड़ागांव थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.04.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- सतेन्द्र पुत्र प्रताप उर्फ प्राजपत निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर, दिनांक 30.04.2025 से 06 माह।